न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 99/2017 दायरा दिनांक : 24.07.2017

उनवान

1— बीरम आयु 65 साल आत्मज गंगाराम, जाति भील, निवासी ग्राम हनोतिया लौढान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2— पप्पूलाल आयु 35 साल आत्मज गंगाराम, जाति भील, निवासी ग्राम हनोतिया लौढान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— मानसिंह आयु 65 साल आत्मज घीसा, जाति तंवर (लोढ़ा), निवासी ग्राम हनोतिया लौढान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2— गब्बा आत्मज घीसा, जाति तंवर (लोढ़ा), निवासी ग्राम हनोतिया लौढान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

3— भंवरीबाई पुत्री घीसा, जाति तंवर (लोढ़ा), निवासी ग्राम हनोतिया लौढान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

4— दल्लू पुत्री घीसा, जाति तंवर (लोढ़ा), निवासी ग्राम हनोतिया लौढान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री संजय सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री श्याम सुन्दर शर्मा।। अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.07.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 66/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांट के खिलाफ एक दावा अर्न्तगत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम हनोतिया, तहसील मनोहरथाना की खतौनी संख्या नयी 161 पुरानी 158 की खसरा नम्बर 205 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 218 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 220 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 221 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 222 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 759 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 768 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 955 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1005 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1008 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल 10 किता रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा शामलाती खाते में दर्ज है । इनमें से खसरा नम्बर 205 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 218 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 220 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 221 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 222 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 759 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 768 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 955 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा पर प्रतिवादीगण ने 6–7 वर्ष पूर्व जबरन कब्जा कर लिया है । उनका कब्जा बहैसियत अतिक्रमी है । अतः प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जाये । अधीनस्थ नयायालय ने दिनांक 19.06.2017 को लोक अदालत में दावा वादी स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय दिनांक 19.06.2017 की जानकारी अपीलांट को नहीं थी । सर्वप्रथम जानकारी

दिनांक 13.07.2017 को हुई । पत्रावली दिनांक 19.06.2017 तलबी में दी गई थी और समस्त पक्षकारान की उपस्थित के बिना और प्रतिवादीगण को सुनवायी का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है । वादग्रस्त आराजी अपीलांट के कब्जे एवं खातेदारी की है इसको अपीलांट ने वर्षों पहले क्रय किया था । अपीलांट का वैधानिक कब्जा है । तथ्यों को छुपाकर गलत रूप से दावा पेश किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सी पी सी की पालना नहीं की गई है । पत्रावली तलबी में लम्बित थी, बिना पक्षकारों की तलबी किये, बिना जवाबदेही का अवसर दिये लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि लोक अदालत में दोनों प्रतिवादी उपस्थित थे । प्रतिवादी आराजी को क्रय करना बताते हैं, परन्तु उनके पास कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है । अवैधानिक दस्तावेज के आधार पर उन्हें कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण में से मानसिंह और

गब्बा उपस्थित थे और प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 उपस्थित थे । लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा पेश नहीं हुआ है और अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन दावा डिक्री किया है ।

लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.10.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा